[1][Rule 61 : Form and manner of furnishing of return

---

1 **Rule 61** Substituted by Noti. No. 82/2020–Central Tax, dt. 10-11-2020 w.e.f. 01-01-2021. Earlier to substitution it read as under:

"**Rule 61 : Form and manner of submission of monthly return**

(1) Every registered person other than a person referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 or an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under section 10 or section 51 or, as the case may be, under section 52 shall furnish a return specified under sub-section (1) of section 39 in **FORM GSTR-3** electronically through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

(2) **Part A** of the return under sub-rule (1) shall be electronically generated on the basis of information furnished through **FORM GSTR-1, FORM GSTR-2** and based on other liabilities of preceding tax periods.

(3) Every registered person furnishing the return under sub-rule (1) shall, subject to the provisions of section 49, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the Act or the provisions of this Chapter by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger and include the details in **Part B** of the return in **FORM GSTR-3**.

(4) A registered person, claiming refund of any balance in the electronic cash ledger in accordance with the provisions of sub-section (6) of section 49, may claim such refund in **Part B** of the return in **FORM GSTR-3** and such return shall be deemed to be an application filed under section 54.

[A]**[(5)** Where the time limit for furnishing of details in **FORM GSTR-1** under section 37 or in **FORM GSTR-2** under section 38 has been extended, the return specified in sub-section (1) of section 39 shall, in such manner and subject to such conditions as the Commissioner may, by notification, specify, be furnished in **FORM GSTR-3B** electronically through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that where a return in **FORM GSTR-3B** is required to be furnished by a person referred to in sub-rule (1) then such person shall not be required to furnish the return in **FORM GSTR-3**.**]**

[E]**[(6)** Every registered person other than a person referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) or an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under section 10 or section 51 or, as the case may be, under section 52 shall furnish a return in **FORM GSTR-3B**, electronically through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, on or before the twentieth day of the month succeeding such tax period:

Provided that for taxpayers having an aggregate turnover of up to five crore rupees in the previous financial year, whose principal place of business is in the States of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, the Union territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli, Puducherry,

Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep, the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for the months of October, 2020 to March, 2021 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twenty-second day of the month succeeding such month:

Provided further that for taxpayers having an aggregate turnover of up to five crore rupees in the previous financial year, whose principal place of business is in the States of Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Assam, West Bengal, Jharkhand or Odisha, the Union territories of Jammu and Kashmir, Ladakh, Chandigarh or Delhi, the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for the months of October, 2020 to March, 2021 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twenty-fourth day of the month succeeding such month.]"

A Sub-rule (5) substituted by Noti. No. 49/2019–Central Tax, dt. 09-10-2019 w.e.f. 01-07-2017. Earlier to substitution it read as under:

"[B]**[(5)** Where the time limit for furnishing of details in **FORM GSTR-1** under section 37 and in **FORM GSTR-2** under section 38 has been extended and the circumstances so warrant, the Commissioner may, by notification, [C][specify the manner and conditions subject to which the] return shall be furnished in FORM GSTR- 3B electronically through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner."

B Earlier sub-rule (5) & (6) substituted for existing Rule (5) by Noti. No. 17/2017–Central Tax, dt. 27-7-2017 w.e.f. 01-07-2017. Earlier to substitution it read as under:

"**(5)** Where the time limit for furnishing of details in **FORM GSTR-1** under section 37 and in **FORM GSTR-2** under section 38 has been extended and the circumstances so warrant, return in **FORM GSTR-3B**, in lieu of **FORM GSTR-3**, may be furnished in such manner and subject to such conditions as may be notified by the Commissioner.

(6) [D][****]"

C Substituted for "specify that" by Noti. No. 22/2017–Central Tax, dt. 17-08-2017 w.e.f. 01-07-2017.

D Sub-rule (6) omitted by Noti. No. 49/2019–Central Tax, dt. 09-10-2019 w.e.f. 01-07-2017. Earlier to omission it read as under:

"[E]**[(6)** Where a return in FORM GSTR-3B has been furnished, after the due date for furnishing of details in FORM GSTR-2

(a) Part A of the return in FORM GSTR-3 shall be electronically generated on the basis of information furnished through **FORM GSTR-1, FORM GSTR-2** and based on other liabilities of preceding tax

(1) Every registered person other than a person referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) or an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under section 10 or section 51 or, as the case may be, under section 52 shall furnish a return in **FORM GSTR-3B,** electronically through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, as specified under –

(i) sub-section (1) of section 39, for each month, or part thereof, on or before the twentieth day of the month succeeding such month:

(ii) proviso to sub-section (1) of section 39, for each quarter, or part thereof, for the class of registered persons mentioned in column (2) of the Table given below, on or before the date mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:–

Table

S. No.	**Class of registered persons**	**Due Date**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	Registered persons whose principal place of business is in the States of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, the Union territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli, Puducherry, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.	twenty-second day of the month succeeding such quarter.

---

periods and PART B of the said return shall be electronically generated on the basis of the return in FORM GSTR-3B furnished in respect of the tax period;

(b) the registered person shall modify Part B of the return in FORM GSTR-3 based on the discrepancies, if any, between the return in FORM GSTR-3B and the return in FORM GSTR-3 and discharge his tax and other liabilities, if any;

(c) where the amount of input tax credit in FORM GSTR-3 exceeds the amount of input tax credit in terms of FORM GSTR-3B, the additional amount shall be credited to the electronic credit ledger of the registered person.]"

E Sub-rule 6 earlier inserted by Noti. No. 82/2020–Central Tax, dt. 10-11-2020 w.e.f. 10-11-2020.

2.	Registered persons whose principal place of business is in the States of Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Assam, West Bengal, Jharkhand or Odisha, the Union territories of Jammu and Kashmir, Ladakh, Chandigarh or Delhi.	twenty-fourth day of the month succeeding such quarter.

(2) Every registered person required to furnish return, under sub-rule (1) shall, subject to the provisions of section 49, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the Act or the provisions of this Chapter by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger and include the details in the return in **FORM GSTR-3B.**

(3) Every registered person required to furnish return, every quarter, under clause (ii) of sub-rule (1) shall pay the tax due under proviso to sub-section (7) of section 39, for each of the first two months of the quarter, by depositing the said amount in **FORM GST PMT-06**, by the twenty fifth day of the month succeeding such month:

Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by notification, extend the due date for depositing the said amount in **FORM GST PMT-06**, for such class of taxable persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of State tax or Union territory tax shall be deemed to be notified by the Commissioner:

Provided also that while making a deposit in **FORM GST PMT-06,** such a registered person may–

(a) for the first month of the quarter, take into account the balance in the electronic cash ledger.

(b) for the second month of the quarter, take into account the balance in the electronic cash ledger excluding the tax due for the first month.

(4) The amount deposited by the registered persons under sub-rule (3) above, shall be debited while filing the return for the said quarter in **FORM GSTR-3B,** and any claim of refund of such amount lying in balance in the electronic cash ledger, if any, out of the amount so deposited shall be permitted only after the return in **FORM GSTR-3B** for the said quarter has been filed.**]**

[1][नियम 61 : विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति

---

1 अधिसूचना क्रमांक 82/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 10.11.2020 द्वारा नियम 61 प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2021)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था–

"नियम 61 : मासिक विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति

(1) एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या कोई इनपुट सेवा वितरक या गैर–निवासी कराधेय व्यक्ति या, यथास्थिति, धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला व्यक्ति धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट विवरणी **प्ररूप जीएसटीआर–3** में इलैक्ट्रानिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन विवरणी के भाग क को इलैक्ट्रानिकी रूप में **प्ररूप जीएसटीआर–1**, **प्ररूप जीएसटीआर–2** के माध्यम से प्रस्तुत सूचना के आधार पर और पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए अन्य दायित्वों के आधार पर सृजित किया जाएगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कर, ब्याज, शास्ति, फीस या अधिनियम या इस अध्याय के नियमों के अधीन संदेय अन्य रकम के लिए अपने दायित्व का इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही को या इलैक्ट्रानिकी प्रत्यय बही को नामे डालकर निर्वहन करेगा और विवरणी के भाग ख में **प्ररूप जीएसटीआर–3** में ब्यौरों को सम्मिलित करेगा।

(4) धारा 49 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसरण में इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही में किसी शेष के प्रतिदाय का दावा करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्रतिदाय का **प्ररूप जीएसटीआर–3** में विवरणी में भाग ख में दावा कर सकेगा और ऐसी विवरणी को धारा 54 के अधीन फाइल किया गया आवेदन समझा जाएगा।

[A][**(5)** जहां धारा 37 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर–1** या धारा 38 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर–2** में ब्यौरे प्रस्तुत करने की समय–सीमा बढ़ा दी गई है, वहां धारा 39 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट विवरणी ऐसी रीति से और उन शर्तों के अधीन रहते हुये जो आयुक्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में इलेक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा :

परन्तु यह कि, जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, वहां ऐसा व्यक्ति **प्ररूप जीएसटीआर–3** में विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित नहीं होगा।**]**

[E][**(6)** एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति के सिवाय प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या इनपुट सेवा वितरक या अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर देने वाला कोई व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, उक्त कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी, साधारण पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से उत्तरवर्ती माह के 20वें दिन तक या उससे पहले प्रस्तुत करेंगे:

परन्तु करदाता जिसका पिछले वित्त वर्ष में 5 करोड़ रूपए तक का संकलित आवर्त है जिसके कारबार का मुख्य स्थान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्य; दमण और दीव और और दादरा और नागर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समुह या लक्ष्यद्वीप संघ राज्यक्षेत्र में है, अक्टूबर, 2020 से मार्च, 2021 के माह लिए उक्त नियम के तहत् **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी, साधारण पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से, उक्त माह के अन्तरवर्ती माह के 22वें दिन तक या उससे पहले प्रस्तुत करेगा:

परन्तु और कि करदाता जिसका पिछले वित्त वर्ष में 5 करोड़ रूपए तक का संकलित आवर्त है जिसके कारबार का मुख्य स्थान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरूणाचल

(1) यथास्थिति, एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या इनपुट सेवा प्रदाता या अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 अथवा धारा 51 या यथास्थिति धारा 52 के अधीन कर का संदाय

प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड या उड़ीसा राज्य, जम्मू और कश्मीर लद्दाख, चंडीगढ़ या दिल्ली संघ राज्यक्षेत्रों में है, अक्टूबर, 2020 से मार्च, 2021 के माह के लिए उक्त नियम के तहत् **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी, साधारण पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से, उक्त माह के अन्तरवर्ती माह के 24वें दिन तक या उससे पहले प्रस्तुत करेगा।

A अधिसूचना क्रमांक 49/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 09.10.2019 द्वारा उपनियम (5) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।

"[B]**[(5)** जहां धारा 37 के तहत **प्ररूप जीएसटीआर 1** में और धारा 38 के तहत **प्ररूप जीएसटीआर 2** में विवरण प्रस्तुत करने की समय–सीमा बढ़ा दी गई है और परिस्थितियां वारंट करती है, आयुक्त अधिसूचना द्वारा, **[**तरीके और शर्तों को निर्दिष्ट कर सकते हैं जिसे] रिर्टन सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से फार्म जीएसटीआर 3 ख में प्रस्तुत किया जायेगा।

B पहले अधिसूचना क्रमांक 17/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.07.2017 द्वारा वर्तमान उप–नियम (5) के स्थान पर उप–नियम (5) एवं (6) प्रतिस्थापित हुआ था (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।

"**(5)** जहां धारा 37 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर–1** और धारा 38 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर–2** में ब्यौरौं को प्रस्तुत करने की समय–सीमा का विस्तार किया गया है और परिस्थितियां इस प्रकार हैं कि **प्ररूप जीएसटीआर 3** के स्थान पर **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी को ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए प्रस्तुत किया जा सकेगा, जो आयुक्त द्धारा अधिसूचित की जाए।

(6) [D][****]"

C अधिसूचना क्रमांक 22/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 17.08.2017 द्वारा ''विनिर्दिष्ट करता है'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।

D अधिसूचना क्रमांक 49/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 09.10.2019 द्वारा उपनियम (6) विलोपित अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017 से विलोपित)।

"[E]**[(6)** जहां **प्ररूप जीएसटीआर 3ख** में रिर्टन प्रस्तुत किया गया है, **प्ररूप जीएसटीआर 2** में विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारिख के बाद

(क) **प्ररूप जीएसटीआर 3** में रिर्टन का **भाग–ए प्ररूप जीएसटीआर 1**, **प्ररूप जीएसटीआर 2** के माध्यम से प्रस्तुत सूचना के आधार पर और पूर्ववर्ती कर अवधि की अन्य देनदारियों के आधार पर इलैक्ट्रानिक रूप से उत्पन्न होगा और कथित रिर्टन का भाग बी होगा कर अवधि के संबंध में प्रस्तुत प्ररूप जीएसटीआर 3 ख में रिर्टन के आधार पर इलैक्ट्रानिक रूप से उत्पन्न हो ;

(ख) पंजीकृत व्यक्ति **प्ररूप जीएसटीआर 3ख** में रिर्टन और **प्ररूप जीएसटीआर 3** में रिर्टन के बीच विसंगतियों, यदि कोई हो, के आधार पर **प्ररूप जीएसटीआर 3** में रिर्टन के भाग–बी को संशोधित करेगा और अपने कर और अन्य देनदारियों का निर्वहन करेगा, यदि कोई ;

(ग) जहां प्ररूप जीएसटीआर 3 में इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि प्ररूप जीएसटीआर 3 बी के संदर्भ में इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि से अधिक है, अतिरिक्त राशि पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा की जाएगी।]"

E अधिसूचना क्रमांक 82/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 10.11.2020 द्वारा उपनियम (6) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 10.11.2020)।

करने वाला व्यक्ति या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से नीचे यथा विनिर्दिष्ट –

(i) धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन, प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए ऐसी अवधि के उत्तरवर्ती मास के 20वें दिन को या उसके पहले प्रस्तुत करेगा :

(ii) धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन, प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित तारीख को या उसके पहले प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :–

सारणी

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग	नियत तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनके कारबार का मूल स्थान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, राज्यों दमण और दीव तथा दादरा और नागर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्रों में है।	ऐसी तिमाही के उत्तरवर्ती मास के बाइसवें दिन।
2.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनके कारबार का मूल स्थान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिमी बंगाल, झारखंड या उड़ीसा राज्यों, जम्मू–कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ या दिल्ली संघ राज्यक्षेत्रों में है।	ऐसे तिमाही के उत्तरवर्ती मास के चौबीसवें दिन।

(2) उपनियम (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कर, ब्याज, शास्ति, फीस या इस अधिनियम अथवा इस अध्याय के उपबंधों के अधीन संदेय किसी अन्य रकम के लिए इलैक्ट्रानिक नगद खाते या इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते के विकलन द्वारा उसके दायित्वों का निर्वहन करेगा और विवरणी में ब्यौरे **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में सम्मिलित करेगा।

(3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिससे उपनियम (1) के खंड (ii) के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, तिमाही के प्रत्येक पहले दो मास के उत्तरवर्ती मास के पच्चीसवें दिन तक **प्ररूप जीएसटी पीएमटी–06** में उक्त रकम के निक्षेप द्वारा धारा 39 की उपधारा (7) के परंतुक अधीन बकाया कर का संदाय करेगा :

परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा कराधेय व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए जो उसमें अधिसूचित किए जाएं, **प्ररूप जीएसटी पीएमटी–06** में उक्त रकम का निक्षेप करने के लिए नियत तारीख का विस्तार कर सकेगा :

परन्तु यह और कि राज्य कर या संघ राज्य कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा :

परन्तु यह और भी कि **प्ररूप जीएसटी पीएमटी–06** में निक्षेप करते समय ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति –

(क) तिमाही के पहले मास के लिए, इलैक्ट्रानिक नगद खाते में अतिशेष को हिसाब में ले सकेगा;

(ख) तिमाही के दूसरे मास के लिए, पहले मास के लिए बकाया कर को अपवर्जित करते हुए इलैक्ट्रानिक नगद खाते में अतिशेष को हिसाब में ले सकेगा।

(4) उपरोक्त उपनियम (3) के परंतुक के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा निक्षिप्त रकम **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में उक्त तिमाही के लिए विवरणी फाइल करते समय विकलित की जाएगी और इस प्रकार निक्षिप्त रकम में से इलैक्ट्रानिक नगद खाते में अतिशेष पड़ी हुई ऐसी रकम के प्रतिदाय के किसी दावे को केवल उक्त तिमाही के लिए **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी फाइल किए जाने के पश्चात् ही अनुज्ञात किया जाएगा।